न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीनअधिकारी–महेश गगोरिया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. –57/2023

हरिश पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र जी भील, जाति भील, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम खातीखेड़ा, थाना व तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.................वादी

बनाम

रमेश चन्द्र पिता चुन्नीलाल लुहार, जाति लुहार, निवासी ग्राम खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.)

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री प्रदीप बीलू।
अप्रार्थीः– श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।

निर्णय दिनांक – 17.10.2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भवानीपुरा (कुण्डाल) प0ह0 खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में जिसके आराजी नम्बर 14 रकबा 0.1400 हैक्टर जमीन है, इस जमीन में वादी के अलावा वादी की मां जानकी बाई, मेरा भाई दिनेश, भगवतीलाल, विश्वामित्र, बहन मंजूबाई व रतनबाई भी सहखातेदार है। पूर्व में यह जमीन ग्राम गिलोता में थी, उक्त जमीन वादी के दादा सीताराम भील ने जमीन श्रीमती किशनी बाई लुहार से खरीद की थी तब इस जमीन के पुराने आराजी नम्बर 1/2 थे तथा वर्तमान में इसके नये नम्बर 14 है, मिलान क्षेत्रफल की नकल अलग से पेश हैं। वर्तमान में भवानीपुरा राजस्व गांव बन गया है इसलिए हमारी जमीन को गिलोता के स्थान पर भवानीपुरा में कर दिया है। हमारी जमीन के पास में ही मुख्य सड़क है सड़क के उत्तर की ओर हमारी जमीन है, लेकिन अभी जो नया नक्शा ट्रेस बना है इसमें हमारी जमीन सड़क के दूसरी ओर दक्षिण में दर्शा दिया गया है। उक्त जमीन मुझ वादी के दादा सीताराम भील ने दिनांक 17.09.1987 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किशनी बाई बेवा स्वर्गीय जयकिशन जी लुहार निवासी खातीखेड़ा से खरीद की थी तब से ही यह जमीन मुझ वादी के दादा बाद में हमारे पिता व हमारे कब्जे में चली आ रही है, प्रतिवादी स्वर्गीय किशनीबाई का भतीजा लगता है। मौके पर इस जमीन का बंटवारा हो चुका है, खाते भी अलग हो चुके है, लेकिन [illegible] के मन में बंदियांति आ गई है, प्रतिवादी मुझ वादी [illegible] सेटलमेन्ट की वजह से दूसरी जगह दर्शा [illegible] का फायदा उठाकर वादी की जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। प्रतिवादी बिना भूमि का रूपान्तरण कराए मुझ वादी के खाते की जमीन पर प्लॉट का[illegible] जमीन विक्रय करना चाह रहा है, इसके लिए उसने रूपान्तरण हेतु कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है। अंत में प्रार्थी वादी के कब्जे व खाते की जमीन जो ग्राम गिलोता आराजी संख्या 1/2 है जिसके नये नम्बर 14 दर्शाये गये है, उसमें कोई दखल अंदाजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

नहीं करे, कोई प्लॉट नही काटे तथा वादी के खाते की जमीन का भूमि रूपान्तरण नही करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त वाद पत्र से प्रतिवादी रमेश चंद का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वादी ने पुराने आराजी संख्या 1/2 तथा नये आराजी संख्या 14 को लेकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि वादी का ग्राम भवानीपुरा कुण्डाल की किसी भी आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। वादी के खाते की कृषि आराजी संख्या 14 है, जिसका मुझ प्रतिवादी से कोई लेना देना नहीं है तथा आराजी संख्या 14 के उत्तर में आराजी संख्या 1/786 है, जिससे भी मुझ प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादी 20 से कोटा जिला कोटा राजस्थान में निवास कर रहा है तथा दिनांक 10.07.2023 को में कोटा ही था, ग्राम भवानीपुरा नही आया तथा उक्त दिनांक को हमारे किसी प्रकार का कोई लडाई झगडा उत्पन्न नही हुआ था तथा उक्त जमीन को लेकर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का कोई लडाई झगडा नहीं है। वादी की आराजी संख्या 14 है, जिसको लेकर प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नही हुआ है, इसलिए वाद कारण के अभाव में उक्त प्रकरण को इसी स्टेज पर खारीज फरमाने का निवेदन किया। वादी हरीश द्वारा वाद पत्र आराजी संख्या 14 को लेकर स्वयं अपने अकेले की ओर से प्रस्तुत किया गया है लेकिन आराजी संख्या 14 के खातेदार कुल 07 है, जिनमें जानकी बाई पत्नि रामचन्द्र व दिनेश, भगवती लाल, मंजूबाई, विश्वमित्र, हरिश पिता श्री रामचंन्द्र भील तथा रतनबाई पुत्री सीमाराम भील हिस्सा 1/2 के खाते दर्ज रिकार्ड है, जबकि वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का होने से वाद पत्र सभी खातेदार काश्तकार की ओर से प्रस्तुत होना चाहिए था इसलिए उक्त वाद पत्र में पक्षकारों का कुसंयोजन होने से वाद पत्र खारिज होने योग्य है। अंत में प्रतिवादी रमेश चंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के वाद पत्र को इसी स्टेज पर वाद कारण के अभाव में खारिज फरमाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु विपक्षीगण/वादीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही किये जाने पर न्यायालय द्वारा जवाब बंद किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र सिधे करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम भवानीपुरा (कुण्डाल) प0ह0 खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में जिसके आराजी नम्बर 14 रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि जो वाद पत्र में अंकित है, उक्त भूमि पर प्रतिवादी रमेश चंद का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वादी ने पुराने आराजी संख्या 1/2 तथा नये आराजी संख्या 14 को लेकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि वादी का ग्राम भवानीपुरा कुण्डाल की किसी भी आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। वादी के खाते की कृषि आराजी संख्या 14 है, जिसका मुझ प्रतिवादी से कोई लेना देना नहीं है तथा आराजी संख्या 14 के उत्तर में आराजी संख्या 1/786 है, जिससे भी मुझ प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। इसके विपरीत वकील वादीगण/विपक्षीगण के वकील ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में वादी के कथन है कि ग्राम भवानीपुरा (कुण्डाल) प0ह0 खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में जिसके आराजी नम्बर 14 रकबा 0.1400 हैक्टर के संबंध में है। जिसके संबंध में वादीगण की ओर से कहा गया कि उक्त आराजीयात में वादी के अलावा वादी की मां जानकी बाई, मेरा भाई दिनेश, भगवतीलाल, विश्वामित्र, बहन मंजूबाई व रतनबाई भी सहखातेदार है। पूर्व में यह जमीन ग्राम गिलोता में थी, उक्त जमीन वादी के दादा सीताराम भील ने जमीन श्रीमती किशनी बाई लुहार से खरीद की थी तब इस जमीन के पुराने आराजी नम्बर 1/2 थे तथा वर्तमान में इसके नये नम्बर 14 है। हमारी जमीन के पास में ही मुख्य सड़क है सड़क के उत्तर की ओर हमारी जमीन है, लेकिन अभी जो नया नक्शा ट्रेस बना है इसमें हमारी जमीन सड़क के दूसरी ओर दक्षिण में दर्शा दिया गया है। उक्त जमीन मुझ वादी के दादा सीताराम भील ने दिनांक 17.09.1987 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किशनी बाई बेवा स्वर्गीय जयकिशन जी लुहार निवासी खातीखेड़ा से खरीद की थी तब से ही यह जमीन मुझ वादी के दादा बाद में हमारे पिता व हमारे कब्जे में चली आ रही है। जबकि प्रतिवादी का कहना है कि वादी का वाद में अंकित नया आराजी संख्या 14 व पुराना आराजी संख्या 1/2 में प्रतिवादी का कोई लेना देना नही है और ना ही कोई कब्जा है। वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार आराजी संख्या 14 के उत्तर में आराजी संख्या 1/786 है जिस पर भी मुझ प्रतिवादी का कोई लेना देना नही है तथा वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं है जिससे वादी की आराजी संख्या 14 में हमारा कब्जा साबित हो रहा हो तथा वादी द्वारा सभी सहखातेदारों को आवश्यक पक्षकार भी नहीं बनाया है जिससे पक्षकारों का कुसंयोजन होने से वाद प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचनों के अनुक्रम में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया गया है।

अतः प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रमाणित होने से वादीगण का वाद ग्राम भवानीपुरा (कुण्डाल) प0ह0 खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 14 रकबा 0.1400 हैक्टर के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 17.10.2024 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया) आर ए एस.
[illegible] एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:14 IST
Reason: SelfAttested